



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous Organization under Ministry of Education, Govt. of India)

17-3/2026(प्र/वि)/मसारावेविप्र/

दिनांक 08-06-2026

कार्यालय आदेश - 2023


विषय: परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु संचालित रेमेडियल कक्षाओं के संबंध में जानकारी एवं प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में ।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2025-26 वेद भूषण पंचम वर्ष एवं वेद विभूषण द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम दिनांक 21 मई 2026 को प्रतिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट <https://msrvvp.ac.in/> पर घोषित कर दिया गया है। सत्र 2025-26 हेतु घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार यह पाया गया है कि इस सत्र में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत लगभग 30 है, जो उत्तीर्ण छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त पाठशालाओं/गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि यह स्पष्ट करें कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की पूरक परीक्षा अथवा छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु किसी प्रकार की रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं अथवा नहीं। यदि रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं तो निम्नलिखित प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें—

1. रेमेडियल कक्षाओं का समय-सारणी एवं उपस्थिति पंजी की प्रति ।
2. वेद अध्यापक / आधुनिक अध्यापक का विवरण जिनके द्वारा कक्षाओं का संचालन किया गया ।
3. कक्षाओं के फोटोग्राफ ।
4. वीडियो रिकॉर्डिंग अथवा सीसीटीवी फुटेज ।
5. अन्य कोई संबंधित प्रमाण जो रेमेडियल कक्षाओं के संचालन को प्रमाणित करते हों ।

उपरोक्त जानकारी एवं प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठान के शैक्षणिक विभाग में कार्यरत संबंधित डीलिंग सहायक को प्रस्तुत किए जाएं, ताकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए किए गए शैक्षणिक प्रयासों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही की जा सके।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक (शै) एवं सहायक निदेशक (परीक्षा) को सूचनार्थ ।
2. अनुभाग अधिकारी को सूचनार्थ ।
3. समस्त वेद पाठशालाओं/गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशित ।
4. संबंधित समस्त डीलिंग असिस्टेंट को सूचनार्थ ।
5. कार्यालयी आदेश पत्रावली